चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज- 5.0" महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा"

"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल-जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5"

"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5" के पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में महिलाओं/बालिकाओ, छात्र/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के सम्बन्ध में जाकरूक किया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट

वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों से क्रमशः 109 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(1). चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता मय हमराही आरक्षी अनुज यादव, आरक्षी जयप्रकाश मिश्रा द्वारा अभियुक्त कमलेश पुत्र कुबेर निवासी चितरागोकुलपुर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को एक झोले में 26 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया।

(2). उ0नि0 श्री कौशल सिहं थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी नीलेश कुमार द्वारा अभियुक्त राजाप्रसाद पुत्र मिठाईलाल निवासी महिला डिग्री कॉलेज के पीछे शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को एक झोले में 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया।

(3). चौकी प्रभारी गनीवा श्री यदुवीर सिंह थाना राजापुर मय हमराह मुख्य आरक्षी धीरेन्द्र,आरक्षी रामकेश द्वारा अभियुक्त संतोष पुत्र नथन सिंह भाऊ पुरवा मजरा हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को एक झोले में 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया।

(4). उ0नि0 श्री राजेश कुमार चौरसिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट मय हमराही आरक्षी आशीष द्वारा अभियुक्त विनय कुमार उर्फ राजा पुत्र चुन्ना निवासी लोढा पुरना मजरा छपरामाफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को एक झोले में 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया।

(5). उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला थाना मय हमराह आरक्षी सोनपाल मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा अभियुक्त रामनरेश पुत्र भैरव प्रसाद निवासी ताडी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को एक झोले में 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी की पुलिस टीम द्वारा कुल 04 अभियुक्तों को जुला खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 श्री ओंमकार सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.रामचरन पुत्र मुन्ना 2.बृजेश पुत्र लाला प्रसाद 3.संगमलाल पुत्र शिवगुलाम 4.राजेन्द्र सिह पुत्र सूरजपाल निवासीगण लोढवारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से माल फड 1400 रु0 व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से कुल 1110/- रुपये बरामद किये गये। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. **उ0नि0 श्री ओंमकार सिंह**
2. **उ0नि0 श्री विजय कुमार**
3. **आरक्षी राहुल देव**
4. **आरक्षी इन्दल**

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियो के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में थाना भरतकूप पुलिस टीम ने 03 अभियुक्तों को चोरी का एक अदद ट्रक न0 UP54BT5035, 01 अदद चोरी में प्रयोग होने वाली बोलेरो गाड़ी, 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर,02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,03 अदद मोबाइल फोन , 01 अदद फर्जी नम्बर प्लेट बरामद के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.09.2025 को वादी विशाल सिंह पुत्र देवनाथ सिह निवासी मुंशीपुर जनपद मऊ उ0प्र0 द्वारा थाना भरतकूप में सूचना दिया गया कि उनकी गाडी सं0 UP54BT5035 ट्रक गोबरिया रोड थाना भरतकूप में सड़क के किनारे खडा था जो कि दिनांक 27.09.2025 को चोरी हो गया, सभी सम्भांवित स्थानों पर पता किया किन्तू पता नही चला। इस सूचना पर थाना भरतकूप मु0अ0सं0 167/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा चोरी की घटना के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक भरतकूप को निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 01.10.2025 को अपराध निरीक्षक भरतकूप श्री अभयराज सिंह मय हमराह उ0नि0 बलवन्त यादव ,उ0नि0 अतीन्द्र सिंह, का0 प्रवीण पाण्डेय, का0 शुभम , का0 रणवीर सिंह के मय प्राईवेट वाहन से देखभाल क्षेत्र, शान्ति व्यवस्था,तलाश वांछित वारण्टी व मु0अ0सं0- 167/25 धारा 303(2) B.N.S से सम्बन्धित माल मुल्जिम के सुरागरसी पतारसी हेतु भरतकूप तिराहे से बांदा की तरफ जा रहे थे कि मुखबिर खास ने गाडी रोकवाकर बताया कि साहब आप जिस चोरी के ट्रक की तलाश कर रहे है उस ट्रक को उसी के ट्रक के ड्राईवर राजबली उर्फ पिन्टू पुत्र देवराज पाल निवासी गडरियन पुरवा रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी किया है और वह अपने साथियों के साथ चोरी के ट्रक के साथ मड़फा मंदिर के आगे सुनसान सड़क पर एक बोलेरो गाड़ी के साथ खड़ा है यदि जल्दी किया जाये तो आपके

मुकदमे का ट्रक बरामद हो सकता है ।इस सूचना पर विश्वास करके थाना भरतकूप मुखबिर के उसके बताये स्थान की ओर चल दिये ।मुखबिर ने मड़फा मंदिर से आगे गाड़ी रुकवाकर ईशारा कर बताया कि साहब सामने जो सफेद रंग के बोलेरो गाड़ी तथा उसके आगे सफेद रंग का इंजन व बादामी रंग की बाडी सहित ट्रक खड़ा है ,वही आपके मुकदमे मे चोरी गया ट्रक है। और मुखबिर चला गया । भरतकूप पुलिस छिपते छिपाते पैदल पैदल खड़ी बोलेरो गाड़ी व ट्रक के पास पहुंची जैसे ही ट्रक का ड्राईवर साईड का दरवाजा खोला तभी अचानक दूसरी साईड का गेट खोलकर एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया जिसका पीछा किया गया लेकिन अंधेरे होने के कारण पकड मे नही आ सका तथा एक व्यक्ति को ट्रक से एवं बोलेरो मे बैठे दो व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ लिया ।तीनों व्यक्ति को वही पास मे खड़ा करके नाम व पता पूछा गया तो 1. राजबली उर्फ पिन्टू पाल पुत्र देवराज पाल नि0 ग्राम गड़रीयन पुरवा मजरा रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप उम्र 33 वर्ष बताया ।जिसकी जामा तलाशी एक अदद देशी तमंचा 315 बोर एवं 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद मोबाईल एण्ड्राइड कंपनी पोको रंग आसमानी बरामद हुआ व दाहिने हाथ मे संदिग्ध बरामद ट्रक/ट्रेलर की चाभी पकड़ा हुआ बरामद हुआ। तमंचा को रखने का वैध लाईसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा मौके से बरामद टेलर/ट्रक के बारे मे पूछा तो बताया कि साहब मै इस ट्रक का ड्राइबर हूँ । और तीन महिने से मै इस ट्रक को चला रहा हूँ । साहब इस ट्रक/टेलर को मैने अपने साथी जो मौके पर पडे है तथा इनमे से जो एक भाग गया जिसका नाम शक्ति द्विवेदी पुत्र योगेन्द्र निवासी रोली कल्याणपुर के साथ मिलकर दिनांक 26.09.25 को रात्रि मे लगभग 11.30 बजे सेमरिया मोड चोरी कर ले गये थे।मेरे साथी धर्मेन्द्र उर्फ छुट्टन पुत्र रामनिहोर गुप्ता नि0 रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप व अभिलाष पटेल पुत्र बच्चू पटेल नि0 रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप इसी पकड़े गये बोलेरो गाड़ी MP19ZK0980 से तथा मै व शक्ति द्विवेदी चोरी किये हुये ट्रक/ट्रेलर को बेचने के ईरादे से ले गये थे लेकिन जैसे ही हम लोग इस ट्रक को लेकर नोयडा बार्डर पहुंचे हम लोगों के पास ट्रक की व बोलेरों के कागजात नही थे और वहां नो एण्ट्री लगी थी फिर हम वहाँ से उसी रास्ते से वापस चल दिये।रास्ते मे हम लोग इसी ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट डालकर चल रहे थे। हम लोगों को डर था कही मालिक ने हमारी रिपोर्ट न कर दी हो जिससे हम चेकिंग मे पकड़े जाये ।साहब जो सामने नंबर प्लेट लगा है वह फर्जी है इसके असली नंबर प्लेट गाडी के अंदर है । साहब मेरे साथी धर्मेन्द्र उर्फ छुट्टन ने बताया था कि ट्रक को सतना मध्य प्रदेश लेकर चलते है ,वही किसी को बेच देंगे । पकड़े गये व्यक्ति के निशानदेही पर बरामद ट्रेलर/ट्रक के केबिन से एक नंबर प्लेट मिला जिस पर नं0 UP54BT5035 लिखा है जिसे ई- चालान एप पर डालकर देखा गया जिससे बरामद ट्रक RMS कंसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मुंसीपुर मऊ लिखा है जिसका चेसिस नं0 MAT828048TAD05268 व इंजन नं0 32D95417646 अंकित है। थाना भरतकूप के मु0अ0सं0 167/25 धारा 303(2) BNS से संबंधित है। अभि0 राजबली उर्फ पिन्टू से फर्जी नंबर प्लेट के बारे मे पूछा गया तो बताया कि हम चारों लोग ने पकड़े जाने के डर से इस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा दिये थे । पकडे गये 2. व्यक्ति से नाम व पता पूछते हुये जामा तलाशी की तो दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ छुट्टन पुत्र रामनिहोर गुप्ता निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप बताया।जिसकी जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल कम्पनी वीवो रंग आसमानी बरामद हुआ मोबाईल बंद था ,मोबाईल के बारे मे पूछा गया तो अपना होना बताया। बरामद बोलेरों नं0 MP19ZK0980 के बारे मे पूछा तो बताया कि साहब मै और अभिलाष उर्फ पुच्ची पुत्र मतगंजन नि0 रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप अपने साथी राजबली उर्फ पिन्टू व शक्ति द्विवेदी के साथ मिलकर इस ट्रक को चोरी कर बेचने के लिये नोयडा ले गये थे लेकिन कोई कागजात न होने व नो ईन्ट्री लगे होने के कारण हम लोग वापस इसी ट्रक को लेकर सतना मध्य प्रदेश जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। बोलेरों गाड़ी अपनी है लेकिन कागजाद दिखाने से कासिर रहा

।बोलेरो गाड़ी को धारा 207 MV ACT मे ई चालान एप से सीज किया गया । पकड़े गये तीसरे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम 3. अभिलाष उर्फ पुच्ची पुत्र मतगंजन पटेल नि0 रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप बताया । जिसकी जामा तलाशी से एन्ड्राइड मोबाईल फोन कंपनी रेडमी रंग काला जो पीछे भाग टूटा हुआ बरामद हुआ।बरामद मोबाईल के बारे मे पूछा गया तो बताया कि मेरा स्वयं का मोबाइल है।पूछने पर बताया कि हम चारों लोग दिनांक 26.09.25 को इसी ट्रक की चोरी करके नोयडा ले गये थे।ट्रक के कागजात न होने व नो ईन्ट्री लगे होने के कारण वापस आकर सतना मध्य प्रदेश जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड लिया ।पकड़े गये अभि0 राजबली उर्फ पिन्टू के पुनः तलाशी की गयी तो पीछे के जेब से एक अदद मोबाईल एण्ड्राइड कंपनी पोको रंग आसमानी बरामद हुआ। जो स्वयं का होना बताया। बरामद तमंचे को एक सफेद कपडे मे रखकर व दो अदद जिंदा कारतूस एक साथ रखकर सील सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया।अभि0 गणों को उसके जुर्म धारा 3(5)/303(2)/317(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) B.N.S व 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराये हुये समय करीब 02.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राजबली उर्फ पिन्टू पाल पुत्र देवराज पाल नि0 ग्राम गड़रीयन पुरवा मजरा रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप
2. धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ छुट्टन पुत्र रामनिहोर गुप्ता निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट
3. अभिलाष उर्फ पुच्ची पुत्र मतगंजन पटेल नि0 रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

पकडें गये अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास

1. राजबली उर्फ पिन्टू पाल पुत्र देवराज पाल नि0 ग्राम गड़रीयन पुरवा मजरा रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप

(i) मु0अ0स0 155/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट
(ii)मु0अ0स0 167/25 धारा 3(5)/303(2)/317(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) B.N.S व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

2. धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ छुट्टन पुत्र रामनिहोर गुप्ता निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

(i) मु0अ0स0 153/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट
(ii)मु0अ0स0 167/25 धारा 3(5)/303(2)/317(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) B.N.S व 3/25 आर्म्स एक्ट

3. अभिलाष उर्फ पुच्ची पुत्र मतगंजन पटेल नि0 रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

(i) मु0अ0स0 235/24 धारा 281,135 बी,106(1) बीएनएस थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
(ii)मु0अ0स0 167/25 धारा 3(5)/303(2)/317(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) B.N.S व 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी-

1. 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर,
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,
3. एक अदद ट्रक न0 UP54BT5035 ,
4. 01 बोलेरो गाड़ी,
5. 03 अदद मोबाइल फोन
6. 01 अदद फर्जी नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली टीम –
1.निरीक्षक श्री अभयराज सिंह
2. उ0नि0 श्री बलवन्त यादव ,
3.उ0नि0 श्री अतीन्द्र सिंह,
4. आरक्षी प्रवीण पाण्डेय5. आरक्षी शुभम
6. आरक्षी रणवीर सिंह

(2). "मिशन शक्ति फेज- 5.0" महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा"
"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5"
थाना बरगढ़ परिसर में"मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनचौपाल का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया व हेल्पलाइन नम्बर व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। *
□"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5" के पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे, उ0नि0 कृष्ण कुमार ,मुख्य आरक्षी आदित्य, महिला आरक्षी पारुल, महिला आरक्षी रीना, महिला आरक्षी अनीता द्वारा थाना बरगढ़ परिसर में"मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनचौपाल का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया व हेल्पलाइन नम्बर व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। *
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-
1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।
महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ
1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
1090 – वीमेन पावर लाइन
181 – वीमेन हेल्पलाइन
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस
108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा
1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा
1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।
इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(3). राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरुकता माह अक्टूबर (NCSAM) 2025 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के थानों द्वारा विभिन्न कॉलेज/स्कूलों,व्यवसायिक प्रतिष्ठान,प्रमुख चौराहे एवं सार्वजनिक स्थल पर साइबर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

साइबर जागरुकता कार्यक्रम आयोजन आज दिनांक 01.10.2025 को साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें सभी आमजन,छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी जिसमें बचाव के प्रमुख बिन्दु निम्न है- 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें । 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर

तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

(4). दिनांक-01.10.2025
“मिशन शक्ति फेज- 5.0” महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा”
“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”
“मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया। हेल्पलाइन नम्बर व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी
“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5” के पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनचौपाल का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया, हेल्पलाइन नम्बर व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-
1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।
महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(5). शारदीय नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु चित्रकूट पुलिस ने पैदल गश्त कर महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज-5.0' के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

आज दिनांक 01.10.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा शारदीय नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु चित्रकूट पुलिस ने पैदल गश्त कर महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज-5.0' के सम्बन्ध में जागरुक किया गया। पैदल गश्त के दौरान पण्डाल के आयोजकों,दुकानदारो,व्यापारीबन्धुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया साथ ही साथ महिला सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाओं के सम्बन्ध में बताया गया।

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं

की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलाई जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया साथ ही आम नागरिकों से अपील कर त्यौहार को भाईचारे एवं सद्भाव के साथ मनाएं तथा किसी समस्या पर तत्काल डायल-112 हेल्पलाइन नम्बर या सम्बन्धित थाना पर सूचना देने को बताया गया।